



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज- I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT VHR/Ballupur-Ponta / Forest/2022/ 5002

Date: 19.07.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पांवटा साहिब वन प्रभाग,
पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)।

विषय: उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के कि०मी० 97.000 से कि०मी० 149.000 तक और रा०रा०-72 (पांवटा साहिब बाईपास) के कि०मी० 98.300 से कि०मी० 104.000 तक के चारलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पांवटा साहिब वन प्रभाग, जनपद-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश अधीन 1.8916 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/HP/ROAD/144814/2021)

संदर्भ:-भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० FC/HPB/06/2022 Dated 07.03.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- **FP/HP/ROAD/144814/2021**

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण: क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.00 हे० वन क्षेत्र Block/Compartment/Survey No. C-3, RF Giri, Baghani Forest Range, Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	प्रतिपूरक वनीकरण: क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.00 हे० अवनत भूमि Block/Compartment/Survey No. C-3, RF Giri, Baghani Forest Range, Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

क्रमशः...2

	ग) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	ग) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8916 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.8916 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 78,35,342/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 15.06.2023 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
5.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of compliance for the same along with documentary evidence be provided to this office.	State Government will ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects.
7.	Since, large number of trees & saplings are involved in the proposal which may lead to soil erosion, therefore as per the recent directions of MoEF & CC vide letter dated 07 June, 2022 Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-I compliance. The deficit amount, as per said plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking to this effect may also be submitted.	The Forest Land proposed for diversion is required for the construction of over way bridges Therefore, no impact of soil erosion/landslide during/after the execution of the project is anticipated but user agency has deposited the 0.5 peresent of the Project cost of Rs. 25,60,257/- in CAMPA account (proportional amount of the project cost of forest land proposed for diversion for Paonta Sahib bypass in HP as required @ 0.5%) for Soil and Moisture Conservation Plan.
8.	The State Government shall ensure that User Agency (UA) strictly follows the preventive measure to minimize and avoid any adverse impact on flora/fauna.	The State Government will ensure that User Agency (UA) strictly follows the preventive measure to minimize and avoid any adverse impact on flora/fauna. In this regard separate undertaking are enclosed.
9.	एफआरए, 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर लिया गया है एवं हार्ड प्रतिलिपी संलग्न है।

10.	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12.	User Agency shall restrict the felling of trees to maximum 34 trees. Furthermore, possibility may be explored to translocate the saplings (844 Khair & 137 Shisham) standing on diversion area to nearby forest aland and/or nursery before actual working on the forest land. Also, DFO concerned may ensure that there shall be no damage to the saplings standing in the diversion area. The report of the same may be submitted to IRO, Shimla.	User Agency shall restrict the felling of trees to maximum 34 trees & the saplings (844 Khair & 137 Shisham) standing on the forest land proposed for diversion shall be relocate in the nearby forest area / nursery before actual working on the forest land. In this regard separate undertaking are enclosed.
13.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अबधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अबधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अबधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाय।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अबधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अबधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अबधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाय इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
15.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा कर दिये गये हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
16.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

17.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
18.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
19.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
20.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
21.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
22.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
23.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।



24.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी उन का पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
25.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
26.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
27.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
28.	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड करवा दी गई है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

सधन्यवाद।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक
प0का0ई0-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि: एक्टिंग टीम लीडर, मै0 योंग्मा इन्जी0 कं0 लि0 को इस आश से प्रेषित कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय

Integrated Regional Office

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड

CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood

शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in

दूरभाष/Tel.: 0177-2658285

0177-2652541

फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: 07.03.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय: Diversion of 1.8916 hectare forest land in favour of NHAI, Vasant Vihar, PIU Dehradun for the Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh., development of bypass to Paonta Sahib between Kms. 98.300 to 104.000 of NH-72 in the State of H.P, within the jurisdiction of Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/144814/2021).

सन्दर्भ: Online Proposal No. FP/HP/Road/144814/2021 uploaded by State Government on dated 08.02.2023

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए), हि0प्र0 के पत्र दिनांक 31.10.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार Diversion of 1.8916 hectare forest land in favour of NHAI, Vasant Vihar, PIU Dehradun for the Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh., development of bypass to Paonta Sahib between Kms. 98.300 to 104.000 of NH-72 in the State of H.P, within the jurisdiction of Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:
 - (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.00 हे0 वन क्षेत्र Block/Compartment/Survey No. C-3, RF Giri, Baghani Forest Range, Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
 - (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।
 - (ग) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):

- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक

/39370/2023

- 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8916 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के WP(C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।
 6. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of compliance for the same along with documentary evidence be provided to this office.
 7. Since, large number of trees & saplings are involved in the proposal which may lead to soil erosion, therefore as per the recent directions of MoEF & CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking to this effect may also be submitted.
 8. The State Government shall ensure that User Agency (UA) strictly follows the preventive measure to minimize and avoid any adverse impacts on flora/fauna.
 9. एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।
 10. प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 11. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 12. **User agency shall restrict the felling of trees to maximum 34 Trees. Furthermore, possibility may be explored to translocate the saplings (844 Khair & 137 Shisham) standing on diversion area to nearby forest land and/or nursery before actual working on the forest land. Also, DFO concerned may ensure that there shall be no damage to the saplings standing in the diversion area. The report of the same may be submitted to IRO, Shimla.**
 13. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
 14. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
 15. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
 16. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
 17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 18. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 20. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.

24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
25. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
26. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
27. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
28. सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

Signed by Satya Prakash

Negi

Date: 07-03-2023 12:10:29

Reason: Approved

भवदीय,

हो/-

(सत्य प्रकाश नेगी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: adgfc-mefi@nic.in).
2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 (E-mail: rohq-mefcc@gov.in).
3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalcahp@yahoo.com).
4. आदेश पत्रावली।

b

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक / Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

पी०वाइ०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (2) की अनुपालना में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

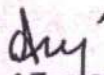
National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

प्लॉट-आइ-एन-वसन्त विहार, देहरादून

C/S



Divisional Forest Officer
PAONTA FOREST DIVISION
Paonta Sahib (H.P.)

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (3) की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जायेंगे उन का पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highway
प्लॉट नं० १००-वसन्त विहार, देहरादून

4/5


Divisional Forest Officer
PAONTA FOREST DIVISION
Paonta Sahib (H.P.)

Proposal No./Case No.: FP/HP/Road/144814/2021

Project Name: Diversion of 1.8916 ha forest land in HP Pradesh for Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehrdun) section from km 97.000 to Km 149.000 of NH-72 in the State of HP. (online case No. FP/HP/Road/144814/2021)

Certificate regarding condition No. 3(a) of Principle approval of this case.

It is certified that the CA work will be done in RF Giri C-3 after the final/stage-II approval of this case.

Place: Paonta Sahib.


Deputy Conservator of Forests,
Paonta Forest Division,
Paonta Sahib (HP).

Proposal No./Case No.: FP/HP/Road/144814/2021

Project Name: Diversion of 1.8916 ha forest land in HP Pradesh for Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehrdun) section from km 97.000 to Km 149.000 of NH-72 in the State of HP. (online case No. FP/HP/Road/144814/2021)

Certificate regarding condition No. 3(b) of Principle approval of this case.

It is certified that the as per record in past there is no any type of plantation work has been done in any other scheme/plan in this particular proposed CA patch.

Place: Paonta Sahib.


Deputy Conservator of Forests,
Paonta Forest Division,
Paonta Sahib (HP).

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (4) की अनुपालना में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

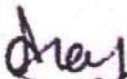
भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
ई-आई-०३-वसन्त विहार, देहरादून

C/S


Divisional Forest Officer
PAONTA FOREST DIVISION
Paonta Sahib (H.P.)

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (5) की अनुपालना में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की राज्य सरकार द्वारा अनुपालना भी करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

ख०आई०पू०-वसन्त विहार, देहरादून

Proposal No./Case No.: FP/HP/Road/144814/2021

Project Name: Diversion of 1.8916 ha forest land in HP Pradesh for Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehrdun) section from km 97.000 to Km 149.000 of NH-72 in the State of HP. (online case No. FP/HP/Road/144814/2021)

Certificate regarding condition No. 6 of Principle approval of this case.

It is certified that the KML file of the diverted area and the CA areas alongwith its soil works shall be uploaded on the e-green watch after the completion of the CA works as per final/stage-II approval of this case.

Place: Paonta Sahib.


Deputy Conservator of Forests,
Paonta Forest Division,
Paonta Sahib (HP).

Proposal No./Case No.: FP/HP/Road/144814/2021

Project Name: Diversion of 1.8916 ha forest land in HP Pradesh for Up-gradation of Paonta Sahib-Ballapur (Dehrdun) section from km 97.000 to Km 149.000 of NH-72 in the State of HP. (online case No. FP/HP/Road/144814/2021)

Certificate regarding condition No. 7 of Principle approval of this case.

It is certified that the user agency has deposited funds to the tune of 0.5% space of project cost in the CAMPA account on a/c of conservation works, as the Soil and Moisture Conservation Plan was not prepared till then. However, the user agency in consultation with Forest Department has now submitted the detail of Soil and Moisture Conservation Plan for RF Rampurbeli, amounting to Rs. 45,50,000/- (Copy attached). It is to be noted that the execution of the plan is essential to ensure the ecological and riverine protection of the surrounding areas of the to be diverted land. The deficit amount i.e. Rs. 20,50,000/- shall be deposited by the user agency for which they have submitted an undertaking (also enclosed).

Place: Paonta Sahib.


**Deputy Conservator of Forests,
Paonta Forest Division,
Paonta Sahib (HP)**

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (8) की अनुपालना में State Govt. will ensure that User Agency (UA) strictly follows the preventive measure to minimize and avoid any adverse impacts on flora/fauna इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ७५- वसन्त विहार, देहरादून

C/S


Divisional Forest Officer
PAONTA FOREST DIVISION
Paonta Sahib (H.P.)

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

**National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun**

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ७०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (11) की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आइ०वी०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, सिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (12) की अनुपालना में User Agency shall restrict the felling of trees to maximum 34 trees & the saplings (844 Khair & 137 Shisham) standing on the forest land proposed for diversion shall be relocate in the nearby forest area / nursery before actual working on the forest land. इसमें प्रयोक्ता अनिवार्यता की पूर्णतया सहमति है।

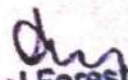
भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(महान् परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
वी०एस०वी०-वसन्त विहार, देहरादून

4/5


Divisional Forest Officer
PAONTA FOREST DIVISION
Paonta Sahib (H.P.)

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (13) की अनुपालना में प्रत्यावर्तन की अबधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अबधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अबधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक / Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

प०आइ०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (14) की अनुपालना में आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (15) की अनुपालना में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा कर दिये गये हैं।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ०५०-बलन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (16) की अनुपालना में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
सं० जाइ० वृ०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-17 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (17) की अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, Piu, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आइ०यू०-बलान्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-18 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (18) की अनुपालना में वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
फ्रीआईड्यू-वसन्त विहार, देहरादून

दिनांक :- 19.07.2023

Applied Area: – 1.8916 Ha

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (19) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

h

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(महक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पुणे-ठाणे-वसन्त विहार, देहादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-20 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (20) की अनुपालना में संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

**National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun**

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आइ०वी०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-21 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (21) की अनुपालना में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

**National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun**

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०वाई०वू०-बल्लभ विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-22 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (22) की अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ७०-७१, वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-23 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (23) की अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

पो० ब्राई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-24 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (24) की अनुपालना में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी उनका पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

प्रियोजना निदेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

पि०आइ०एच०-वसन्त, विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-25 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (25) की अनुपालना में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(Pankaj Kumar Mourya)
General Manager
National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
आस्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: – 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-26 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (26) की अनुपालना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

**National Highway Authority of India,
Vasant Vihar, PIU, Dehradun**

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट आर्क ०५००-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-27 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (27) की अनुपालना में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

पी००३३३०००-वसन्त विहार, देहरादून

क्रमांक :- FP/HP/ROAD/144814/2021

दिनांक :- 19.07.2023

Project Name: - Diversion of 1.8916 hectare Forest Land in Himachal Pradesh for UP-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Proposal No: - FP/HP/ROAD/144814/2021

Applied Area: - 1.8916 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-28 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के पत्र क्र० सं० FC/HPB/06/179/2022 Dated 07.03.2023 को जारी सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (28) की अनुपालना में सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड करवा दी गई है।

भवदीय



(Pankaj Kumar Mourya)

General Manager

National Highway Authority of India,

Vasant Vihar, PIU, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Road Transport & Highways

पी०आइ०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

Site proposed for soil and moisture conservation work in Rampurbelli Beat of Paonta Block of Paonta Forest Range in Paonta Sahib Forest Division.

Background:

The diversion of 1.8916 ha. Forest land in favour of NHAI for up gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from Km. 97.000 to Km. 149.000 of NH-72 under forest conservation act is under process. As per the guidelines and directions of MoEF & CC soil and moisture conservation plan along with detail cost of implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with stage-I compliance. The amount for undertaking CC soil and moisture conservation works cell is deposited in the CAMPA account prior to actual working to the area.

Brief overview of the area involved:

The forest area involved in diversion case falls in Rampurbelli Beat of Paonta Sahib Forest Range. The land status is kabja Van Vibhag in revenue record which attracted the provision of Forest Conservation Act, 1980. The area is a revering tracked in Yamuna River basin which is subjected to torrential floods during monsoon. The area is low lying, configuration is flat with good drainage and the soil is sandy with boulders. There are patches of Khair and Shisham along the banks of River Yamuna which are near to area proposed for diversion.

There are 34 Nos. trees Khair and Kokat species and 965 Nos. sapling of Khair and Shisham species, which are proposed for felling in this case. The felling of these trees will aggravate the degradation in this ecologically sensitive area. Every year heavy monsoon rains cause torrential floods in this low lying area which further leads to Bank erosion. Bank erosion occurs in two primary mechanisms, the direct removal of soil particles by flowing water is called fluvial erosion and Mass failure causes the bank to collapse. The riverine tract of the division containing Khair and Shisham forests is prone to bank erosion. When the roots of trees are undercut by such erosion, the trees get uprooted and swept away in the rivers. The erosion in these areas leads to soil loose and depletion in large extents, thus making the site difficult to regenerates. The site conditions are however favourable for Khair and Shisham, which are the pioneer tree species in

riverain succession. In order to protect the soil mass and create conducive condition for regeneration soil and moisture conservation work are essential.



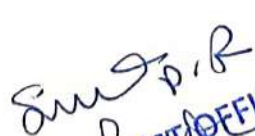
Other factor:

The area around the proposed diversion site is prone to anthropogenic activities like illegal mining, dumping and biotic pressure, such as grazing and loping.

Site proposed for soil and moisture conservation work:

S. No.	Name of activities/ components	Qty.	Rate	Amount	GPS coordinate
1.	Construction of create wire structure for Bank Protection.				

	Site No. 1 near Tibetan School Bhuppur.	1No.	460000/-	460000/-	30°25.40'' 77°35.58''
	Site No. 2 near Army Ground	1No.	450000/-	450000/-	30°25.40'' 77°36.04''
	Site No. 3 near Bhuppur	1No.	495000/-	495000/-	30°25.47'' 77°36.15''
	Site No. 4 near Kedarpur	1No.	485000/-	485000/-	30°25.40'' 77°35.58''
	Site No. 5 near Swastika Laundry	1No.	430000/-	430000/-	30°25.40'' 77°35.58''
	Site No. 6 near Sh. Ram Sharnam	1No.	465000/-	465000/-	30°26.06'' 77°36.49''
	Site No. 7 near Shalu Monetary Bhuppur	1No.	430000/-	430000/-	30°26.02'' 77°36.37''
	Site No. 8 near Sambhota Tibetan School Bhuppur	1No.	485000/-	485000/-	30°26.02'' 77°36.37''
	Total	8 No.	3700000/-	3700000/-	
2.	Planting of live hedge plants in furrows/strips including cost and carriage of live hedge plants/cutting.	7000 Rmt.	50/- Per Rmt.	350000/-	
3.	Preparation of Gardenia trenches/staggered trenches including planting of vegetative hedge in the mound of trenches. 0.60x0.60 mtrs.	1000 Rmt.	200/- Per Rmt	200000/-	
4.	Monitoring and evaluation.			300000/-	
	G. Total			4550000/-	


 BLOCK FOREST OFFICER
 PAONTA SAHIB

C/s


 Divisional Forest Officer
 Paonta Forest Division
 Paonta Sahib

Yamato River

Army Training Ground

Village Center

Google Earth

1+930 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600 2+700 2+800 2+900 3+000 3+100 3+200 3+300

- SECRET
- PAONTA SAHIB
BLOOD RESERVE
PAONTA SAHIB
- RANGE FOREST OFFICER
PAONTA SAHIB RANGE
- Divisional Forest Officer
Paonta Forest Division
Paonta Sahib

Google Earth

FORM-I
(for linear projects)
Govt. of H.P.

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTT. SIRMAUR AT NAHAN, H.P.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In the compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.8916 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for the Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Deharadun) section from 97.000 to km 149.00 of NH-72 in the state of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of bypass at Paonta Sahib between KM 98.300 to KM 104.000 of NH-72 in the state of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Paonta Sahib Forest Division, District Sirmaur Revenue village Mauja Bhuppur-II, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur in respect of forest land Tehsil Paonta Sahib Distt. Sirmaur HP.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8916 **Hectare**. forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s)/FRC(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure- **A, B and C**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas/FRCs have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


District Collector
District Sirmaur at Nahan.

No. Peshi-II-8(FRA)/2022- 0196

Dated, 21 September, 2022 Nahan.

The Project Director,

National Highways Authority of India,

Project Implementation Unit-Vasant Vihar,

House No. 171, Phase-I Vasant Vihar,

Dehradun-248006 (Uttarakhand)


20/09/2022
DFO Paonta Sahib


परियोजना निदेशक, Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं. 171-वसन्त विहार, देहरादून

Certificate regarding Non-Availability of Non-Forest land in respect of Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of by pass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh for Diversion of 1.8916 hectare Forest Land.

I, Ram Kumar Gautam, IAS, District Collector, District Sirmaur, H.P. do hereby certify that:

- (i) I have obtained record from Sub Divisional Collector, Paonta Sahib in the District Sirmaur, a joint certificate to the effect that non-forest land revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle-jhari land, civil soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose are not available in the area under their respective jurisdiction, and
- (ii) I have also examined all other relevant records. On the basis of afore-mentioned joint certificates and examination of all other relevant records, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle-jhari land, civil-soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose are not available in the entire concerned area Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.

Issued under by hand and seal on this 20th day of September, 2022.


20/9/22
District Collector,
District Sirmaur at Nahan


परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १०-वसन्त विहार, देहरादून

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTRICT SIRMAUR AT NAHAN (HP)

Certificate regarding Non-Availability of Non-Forest land in respect of Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh for Diversion of 1.8916 hectare Forest Land.

It is certified that there is no alternative suitable non forest land available for Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh for Diversion of 1.8916 hectare Forest Land with in the Jurisdiction of Revenue village Mauja Bhuppur-II, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur in jurisdiction of Paonta Sahib Forest Division.


District Collector,
District Sirmaur at Nahan

No. Peshi-II-8(FRA)/2022- 0195
Dated, 21 September, 2022 Nahan.
The Project Director,
National Highways Authority of India,
Project Implementation Unit-Vasant Vihar,
House No. 171, Phase-I Vasant Vihar,
Dehradun-248006 (Uttarakhand)


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(राष्ट्रक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १७१-१, वसन्त विहार, देहरादून

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL COMMITTEE CONSTITUTED UNDER RULE-7 OF THE SCHEDULED TRIBES & OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT RULES) 2006 HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF RAM KUMAR GAUTAM, I.A.S., DEPUTY COMMISSIONER SIRMAUR IN D.C. OFFICE, NAHAN ON 20-09-2022 at 10:30 AM

A meeting of the District Level Committee was convened under the Chairmanship of Sh. R.K. Gautam, I.A.S., Deputy Commissioner, Sirmaur in D.C. Office, Nahan on 20th September, 2022 to deliberate on the various issues involved in diversion of forest land for non-forestry activities. The following officers and non official members of the District Level Committee participated in the meeting:-

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Sh. Manesh Kumar, IAS
Addl. Deputy Commissioner, Sirmaur | Member Secretary |
| 2. | Sh. Rajneesh Kumar,
Sub Divisional Officer (c)
Nahan, Distt. Sirmaur | Member |
| 3. | Sh. Saurabh,
Divisional Forest Officer, Nahan. | Member |
| 4. | Sh. Kunal Angrish, IFS
Divisional Forest Officer, Paonta Sahib | Member |
| 5. | Sh. Satish Thakur
Village Shiriya P.O. & Tehsil Rajgarh
District Sirmaur | Non Official Member |
| 6. | Sh. Sarwan Kumar
Vill. Kishanpura, P.O. Jamniwala,
Tehsil Paonta Sahib Distt. Sirmaur | Non Official Member |
| 7. | Smt. Sumita Devi,
Vill. Banaur, Tehsil Paonta Sahib,
District Sirmaur | Non Official Member |

After initial felicitations, the permission of the Chair was taken for the commencement of the meeting. At the outset, the ADC, being the Member Secretary of the Committee informed the Committee that below mentioned cases have been received from Sub-Division Level Committees, Nahan and Paonta Sahib:-

Sr. No.	Name of Work	DFO concerned	Area of forest land to be diverted for non-forestry purpose.
1	Construction of Aadi Badri Dam on Somb Nadi and its piped link to Sarswati Nadi and Sarasvati reservoir	Nahan.	Diversion of Forest land 31.72 Hect.



परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ३००-बसन्त बिलार, देहरादून

Up-gradation and 4-laning of Paonta Sahib- Ballupur (Dehradun) Section of NH-72 (km 98.00 to km 149.00) in the State of Uttarakhand & Himachal Pradesh.	Paonta Sahib.	Diversion of Forest land 1.8916 Hect.
---	---------------	---------------------------------------

The cases were examined by the Committee:-

The proposal mentioned at Sr. No.1 and 2, which is sent by the SDLC Nahan/Paonta was examined. As per proposal the land at Sr. No. 1 is required for diversion if forest land in favor Executive Engineer Saraswati Heritage Division No-1 Jagadhari District Yamuna Nagar (Haryana) for the construction of Aadi Badri Dam on Somb Nadi and it pipe link to Sarswati Nadi and Sarswati reservoir to develop the tourism in the area.

The land at serial No. 2 is required for the diversion of the forest land in favor of GM (Tech.) cum Project Director PIU Basant Vihar Dehradun (UK) for the up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) Section from KM 97.000 to 149.000 of NH 72 in the State of Uttarkhand and Himachal Pradesh Development of by Pass to Paonta Sahib between KM 98.300 to 104.000 of NH 72 in the State of HP to facilitate the General public and provide transport facilities to the people of the area.

The Sub Divisional Officers (C) Nahan and Paonta Sahib have sent the above cases dully approved by the concerned Village Level Forest Right Committee, Gram Panchayats and Sub Divisional Level Committee, constituted by the Govt. under rule 7 of the schedule tribe and other traditional forest dweller (Recognition of Forest Right Rule) 2006 vide notification No. TBD(A)3-1/2013-loose dated 5-3-2016 and recommended the diversion of the said forest land for non forestry purpose and necessary certificate on proforma prescribed under Forest Right Act 2006 in respect of the said land have been supplied to this office. The case as received from the SDLC Nahan and Paonta Sahib have been thoroughly checked by the Divisional Forest Officer Nahan and Paonta Sahib and the same has been approved by the DLC as all codal formalities are found to be completed in these cases.

In addition to above two cases, 13 more cases are also lying pending for want of certain formalities to be completed. The same may be got completed at the earliest and put up for approval in the next meeting.

Therefore, the meeting ended with a vote of thanks to and from Chair.



(R.K. Gautam) IAS,
Deputy Commissioner,
Sirmaur at Nahan.

Endst:-No. Peshi-II-8(FRA)/2015- 0194

Dated:21September, 2022

Copy forwarded to above mentioned members of the committee for information pl.



Deputy Commissioner,
Sirmaur at Nahan

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट आर्वाइवमेंट-यसन्त बिल्डर, देहरादून

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTRICT SIRMAUR
AT NAHAN, (H.P)**

Certificate regarding Non-Availability of Non-Forest land in respect of Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh for Diversion of 1.8916 hectare Forest Land.

It is certified that there is no non forest land available in Mauza Bhuppur-II in Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur H.P. except proposed 1.8916 hectare forest land for the **development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh** in jurisdiction of tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.



Collector 8
District Collector, (H.P.)
District Sirmaur at Nahan

No. Peshi-II-8(NAC) NAHI Department /2022- 174064
Dated, the Nahan, 12 August, 2022
The Project Director,
National Highways Authority of India,
Project Implementation Unit- Vasant Vihar,
House No. 171, Phase-I Vasant Vihar,
Dehradun-248006 (Uttarakhand)


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 171-ए-1, वसन्त विहार, देहरादून

NO. SDO(C)/SDO(C)/P/2021:- 2422
OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C) PAONTA SAHIB
DISTT. SIRMOUR
Dated:- 05/08/2022

To,

The Deputy Commissioner,
District Sirmour at Nahan.

Subject:- Issuance of FRA Certificates

Sir,

Please refer to your office letter No. DRO/DRA(NAC-CA)/2022-190 dated 02.02.2022 on the subject cited above. The requisite certificate is being forwarded herewith for further necessary action please.

Encl.: 16

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (c),
Paonta Sahib.

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १००-बनारस विहार, देहरादून

FORM- 1

Annexure-1

(For Linear Projects)

Office of the Sub-Divisional Collector Paonta Sahib

No.....

Date:

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MOEF issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of Rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.8916 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India, PIU-VasantVihar (Dehradun) for Upgradation of PaontaSahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh in the district of Sirmour falls under the jurisdiction of Paonta Sahib Forest Division in Sirmour District Mauza Bhuppur-II in Tehsil Paonta Sahib, Sub Division Paonta Sahib, District Sirmour H.P.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire 1.8916 hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s) and Sub-Division Level Committee (s) and Form 23.4 (3) are enclosed as annexure (I to V).
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized right of primitive Tribale Groups and preagricultural communities.

Encl.: As above.

Sub Divisional Collector,
Paonta Sahib,
Paonta Sahib

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आर०व०व०-वसन्त विहार, देहरादून

Format of Certificate of Non-Availability of Non-Forest land for Compensatory Afforestation in the Sub- Division, Paonta Sahib District Sirmour

No.....

Date:

Certificate of Non-Availability of land for Compensatory Afforestation

I, Vivek Mahajan, Sub-Divisional Collector, Paonta Sahib, District Sirmour, H.P. do hereby certify that

- (v) I have obtained from field agency Paonta Sahib, a joint certificate to the effect that non-forest land revenue lands, zudpi jungle, chhotejharka jungle, bade jharka jungle, jungle-jhari land, civil soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose are not available in the area under their respective jurisdiction, and
- (vi) I have also examined all other relevant records.

On the basis of afore-mentioned joint certificates and examination of all other relevant records, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhotejharka jungle, bade jharka jungle, jungle-jhari land, civil soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose are not available in the entire Sub Division Paonta Sahib, District Sirmour H.P.

Issued under by hand and seal on this dated

Sub Divisional Collector
Paonta Sahib, District Sirmour
Paonta Sahib

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १०५०-बसन्त विहार, देहली-११००५०

**OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C), PAONTA SAHIB, DISTRICT
SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH**

Certificate regarding Non-Availability of Non-Forest land in respect of Up-gradation of PaontaSaheb-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh falls under the jurisdiction of forest Division, Paonta Sahib for diversion of 1.8916 hectare Forest Land

It is certified that there is no alternative suitable non forest land available for the above purpose and the use of forest land / proposed land for the project is unavoidable.

**Sub Divisional Collector
Paonta Sahib, Distt. Sirmour
Paonta Sahib**

**परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ८५०-बसन्त विहार, देहरादून**

वन अधिकार समिति ग्राम भूपपुर
डाकघर पांवटा साहिब त0 पाँवटा साहिब जिला सिरमौर हि0प्र0

Annexure-II

क्रमांक- 05

दिनांक- 14/01/22

आज दिनांक 24.06.2022 को राजस्व ग्राम भूपपुर की ग्राम सभा बैठक वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम भूपपुर के अध्यक्ष श्री सुखराम जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के अलाईन्मेंट भूपपुर द्वितीय से होकर जाता है, जिसमें ग्राम भूपपुर के व्यक्तियों द्वारा भाग लिया तथा निम्न रूप से कार्यवाही अमल में लायी गई। जिसमें व्यस्क सदस्यों की उपस्थिति 257/499 रही तथा निम्न कार्यवाही की गई।

नकल प्रस्ताव संख्या:- 04

विषय:- अनापति प्रमाणपत्र जारी करने बारे।

आज बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 को सड़क निर्माण के लिए अनापति प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

उपर्युक्त विषय पर विचारविमर्श के उपरान्त वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करती है कि यदि उपर्युक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 का निर्माण करती है तो वन अधिकार समिति भूपपुर के निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, तथा ना नही भविष्य में होगी। यह कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के निर्माण के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस सड़क के बनने से कई परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह0
आबिदा
(चार्ज सार्वजनिक)

प्रधान
ग्राम पंचायत भांटावाली
विकास खण्ड पांवटा साहिब
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

सुखराम
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति अध्यक्ष
ग्राम भूपपुर विकास खण्ड
पांवटा साहिब
जिला सिरमौर (हि.प्र.)

उप-प्रधान
ग्राम पंचायत भांटावाली
विकास खण्ड पांवटा साहिब
जिला सिरमौर (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत भाटावाली

Annexure-III

विकास खण्ड पाँवटा साहिब जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कमांक 05

दिनांक 14/7/2022

सेवा में,

तहसीलदार,
पाँवटा साहिब जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय :- FRA से संबंधित आवेदन पत्र का निपटारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या कमांक सं 30M0A0 (ना0)/का0का0/41/2022-1713 दिनांक 09.06.2022 के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य व उपप्रधान के माध्यम से एक FRA की बैठक कराई गई थी। जिसमें भूपुर ग्राम सभा की उपस्थिति में 957/499-28 प्रस्ताव व हस्ताक्षर की छायाप्रति आपकी सेवा में उपस्थिति है।

प्रतिलिपियां संलग्न

1. भूपुर बैठक

ह0
सुधराम
(वार्ड सदस्य)

ह0
आखिरी
(वार्ड सदस्य)

प्रधान
ग्राम पंचायत भाटावाली
विकास खण्ड पाँवटा साहिब
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ग्राम पंचायत सचिव
14/7/2022
आधिकारी

ग्राम पंचायत भाटावाली
विकास खण्ड पाँवटा साहिब
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आइ०यू०-व्यस्त विहार, देहरादून

आज दिनांक 24-6-20 को जवन सावित्ररूप सामोने भूप
 की राफ सभा लोकोपयोगी योजना के अन्तर्गत
 लोकोपयोगी योजना के अन्तर्गत लोकोपयोगी योजना के अन्तर्गत
 लोकोपयोगी योजना के अन्तर्गत लोकोपयोगी योजना के अन्तर्गत

क्र.सं.	सामान्य	विशेष	हस्ताक्षर
1	रमेश शर्मा	रमेश शर्मा	हस्ताक्षर
2	रमेश शर्मा	रमेश शर्मा	हस्ताक्षर
3	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी	हस्ताक्षर
4	सोहन	सोहन	हस्ताक्षर
5	Yashwantrao	Yashwantrao	हस्ताक्षर
6	सुनीता	सुनीता	हस्ताक्षर
7	ललित शर्मा	ललित शर्मा	हस्ताक्षर
8	रमेश शर्मा	रमेश शर्मा	हस्ताक्षर
9	HSharma	HSharma	हस्ताक्षर
10	पंकज शर्मा	पंकज शर्मा	हस्ताक्षर
11	कल	कल	हस्ताक्षर
12	फिर दोरा	फिर दोरा	हस्ताक्षर
13	मैत्र	मैत्र	हस्ताक्षर
14	यामीन	यामीन	हस्ताक्षर
15	पुष्पा	पुष्पा	हस्ताक्षर
16	कासिम	कासिम	हस्ताक्षर
17	इकराम	इकराम	हस्ताक्षर
18	गुलशन	गुलशन	हस्ताक्षर
19	दिन शर्मा	दिन शर्मा	हस्ताक्षर
20	शाहिद	शाहिद	हस्ताक्षर
21	मीना शर्मा	मीना शर्मा	हस्ताक्षर
22	मेहन	मेहन	हस्ताक्षर
23	सुरेश्वर	सुरेश्वर	हस्ताक्षर
24	शाहिद	शाहिद	हस्ताक्षर
25	शकुन्तला	शकुन्तला	हस्ताक्षर
26	सतपाल शर्मा	सतपाल शर्मा	हस्ताक्षर
27	आविष्	आविष्	हस्ताक्षर

59	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
60	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
61	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
62	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
63	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
64	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
65	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
66	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
67	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
68	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
69	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
70	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
71	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
72	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
73	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
74	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
75	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
76	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
77	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
78	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
79	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
80	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
81	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
82	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
83	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
84	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
85	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
86	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
87	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
88	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
89	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो
90	नमो नमो	नमो नमो	नमो नमो

क्र	शायिया	अवकाश	शायिया
92	अमर	सुख	अमर
93	शिव	गुरव	शिव
94	मोहन	//	मोहन
95	मुकेश	मुकेश	मुकेश
96	जसमोहन	जसमोहन	जसमोहन
97	जीत सिंह	//	जीत सिंह
98	सुबे सिंह	हरिदास	सुबे सिंह
99	गुमान सिंह	शिरमौर सिंह	गुमान सिंह
100	चतुर सिंह	चतुर सिंह	चतुर सिंह
101	जसवन्त सिंह	शिरमौर सिंह	जसवन्त सिंह
102	फिरोज खान	चर दीन	फिरोज
103	कुलीन	बलराम	कुलीन
104	जामिनी	गणेश	गणेश
105	रानी	गणेश महमद	रानी
106	जरीना	बिजु	जरीना
107	राम	बलराम	राम
108	रामपाल	रामपाल	रामपाल
109	रिख	नरेश चन्द गुप्ता	रिख
110	रामजीत सिंह	राम चन्द	रामजीत सिंह
111	रामजीत सिंह	जमनदास	जमन
112	रामजीत सिंह	//	रामजीत सिंह
113	रामजीत सिंह	देवराज	रामजीत सिंह
114	रामजीत सिंह	बिजु	रामजीत सिंह
115	रामजीत सिंह	जमनदास	रामजीत सिंह
116	रामपाल राम	रामान लाल	रामपाल राम
117	अमान	मुकेश	अमान
118	मुकेश	मुकेश	मुकेश
119	रामपाल	रामपाल	रामपाल
120	रामपाल	पवन राम	रामपाल
121	रामपाल	पवन	रामपाल
122	रामपाल	रामपाल	रामपाल
123	रामपाल	रामपाल	रामपाल

क्र.सं.	नाम	पिता/पति/पति	संबंध
124	सुभाष	श्री. सुभाष	पुत्र
125	सुभाष	श्री. सुभाष	पुत्र
126	Ahona	W/o Shahmukh	Ahona
127	हरीदा	W/o S. S.	हरीदा
128	आमना	W/o नरसी	आमना
129	आमना	W/o यशमन	आमना
130	यशमन	W/o अष्टमपुर	यशमन
131	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
132	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
133	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
134	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
135	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
136	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
137	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
138	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
139	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
140	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
141	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
142	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
143	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
144	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
145	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
146	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
147	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
148	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
149	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
150	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
151	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
152	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
153	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
154	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
155	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर
156	अष्टमपुर	W/o अष्टमपुर	अष्टमपुर

(158)	रसीदन	प/० रामदास	रसीदन
(159)	इसुरान	प/० देवीलाल	इसुरान
(160)	सना	प/० इसुरान	सना
(161)	पतंगली	प/० देवीलाल	पतंगली
(162)	इसुरान	प/० देवीलाल	इसुरान
(163)	लमेल	प/० लमेल	लमेल
(164)	बूटाराम	प/० "	बूटाराम
(165)	समर चन्द	प/० लमेल	समर चन्द
(166)	श्याम लाल	प/० समर चन्द	श्याम लाल
(167)	धर्मपाल	प/० "	धर्मपाल
(168)	श्याम रसिद	प/० श्याम रसिद	श्याम रसिद
(169)	जितराम	प/० जितराम	जितराम
(170)	राम प्रसाद	प/० जितराम	राम प्रसाद
(171)	इन्द्रपाल	प/० जितराम	इन्द्रपाल
(172)	रमेश रमेश कुमार	प/० रमेश	रमेश
(173)	Manish	प/० Manish	Manish
(174)	अमर जीत	प/० अमर	Amarnath
(175)	जीतराम	प/० जीतराम	जीतराम
(176)	रामप्रसाद	प/० रामप्रसाद	रामप्रसाद
(177)	बुद्धराम	प/० बुद्धराम	बुद्धराम
(178)	रामप्रसाद	प/० रामप्रसाद	रामप्रसाद
(179)	रामप्रसाद	प/० रामप्रसाद	रामप्रसाद
(180)	बलराम	प/० बलराम	बलराम
(181)	देवराम	प/० देवराम	देवराम
(182)	Rajkumar	प/० Rajkumar	Rajkumar
(183)	जगदीश चन्द	प/० जगदीश चन्द	जगदीश चन्द
(184)	रामप्रसाद	प/० रामप्रसाद	रामप्रसाद
(185)	रामप्रसाद	प/० रामप्रसाद	रामप्रसाद
(186)	दिनेश कुमार	प/० दिनेश कुमार	दिनेश कुमार
(187)	पवन कुमार	प/० पवन कुमार	पवन कुमार
(188)	रमेश चन्द	प/० रमेश चन्द	रमेश चन्द
(189)	रमेश चन्द	प/० रमेश चन्द	रमेश चन्द

उप-निदेशक
 राज्य परिवहन मंत्रालय
 विकास एवं परिवहन मंत्रालय
 दिल्ली (सि.एन.ए.)

(192)	अदीप	श्री २ विद्यालय	अदीप
(193)	जामल	श्री २ विद्यालय	वि
(194)	दीप	श्री २ विद्यालय	दीप
(195)	मनीष देवी	श्री २ विद्यालय	मनीष देवी
(196)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(197)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(198)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(199)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(200)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(201)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(202)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(203)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(204)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(205)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(206)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(207)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(208)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(209)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(210)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(211)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(212)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(213)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(214)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(215)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(216)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(217)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(218)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(219)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(220)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(221)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(222)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(223)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(224)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा
(225)	अजा	श्री २ विद्यालय	अजा

(226)	जहांगीर	डा० मन्जर	जहांगीर
(227)	जमील	डा० कुलदुलसतार	जमील
228	अराबनर	डा० रामसिंह	अराबनर
(229)	गुमान	डा० रामसिंह	गुमान
(230)	इन्तेजार खली	डा० हुनीफ	इन्तेजार अली
(231)	जकील	डा० ॥	जकील
(232)	जामीन	डा० ॥	जामीन
(233)	यामीन	डा० यामीन खली	यामीन
(234)	हासिम	॥	हासिम
(235)	पामीन	॥	पामीन
(236)	नाजिद	॥	नाजिद
(237)	वाकिद	॥	वाकिद
(238)	इलताफ	डा० ॥	इलताफ
(239)	फिरोज	डा० हमनगीन	फिरोज
(240)	जहांगीर	डा० मन्जर	जहांगीर
(241)	खालमगीर	॥	खालमगीर
(242)	इफ्तखान	डा० इफ्तखान	इफ्तखान
(243)	खोदिया	॥	खोदिया
(244)	अनवर	डा० हुनी	अनवर
(245)	रमनवर	॥	रमनवर
(246)	जामील	॥	जामील
(247)	जामा	डा० पाकब	जामा
(248)	आजा	॥	आजा
(249)	जानिस	डा० मोहम्मद खली	जानिस
(250)	निश	॥	निश
(251)	जामील	डा० सलार मो	जामील
(252)	मुखलीपार	॥	मुखलीपार
(253)	फुरकान	॥	फुरकान
(254)	सकुर	डा० शफीक	सकुर
(255)	तबकाल	डा० जमालजमाली	तबकाल
(256)	मोमीन	जमाल	मोमीन
(257)	बोबी	जमाल	बोबी

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF SUB DIVISION LEVEL COMMITTEE CONSTITUTED UNDER RULE-7 OF THE SCHEDULED TRIBES & OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT RULES) 2006 HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF VIVEK MAHAJAN, SUB DIVISIONAL COLLECTOR, PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR IN SDM OFFICE, PAONTA SAHIB ON 27.07.2022.

A meeting of the Sub-Div Level Committee was conveyed under the Chairmanship of Shri Vivek Mahajan, Sub-Divisional Collector, Paonta Sahib, District Sirmour in SDM Office, Paonta Sahib on 27.07.2022 to deliberate on the various issues involved in diversion of forest land for non-forestry activities. The following officers and non-official members of the Sub Division Level Committee participated in the meeting:-

- | | |
|---|------------------|
| 1. Shri <u>Sh. Veel Prakash Agnihotri</u> | Member Secretary |
| 2. Shri <u>Veel Prakash Sharma</u> | Member |
| 3. Shri <u>Jagdish Chauhan</u> | Member |
| 4. Shri <u>Somant Kumar P. R.</u> | Member |
| 5. Shri | Member |
| 6. Shri | Member |

After initial felicitations, the permission of the Chairmanship commencement of the meeting. At the outset, the, being the Member Secretary of Committee informed the Committee that below mentioned cases have been received from Gram Sabha Level Committee, Paonta Sahib :-

Sl. No.	Name of Roads	DFO Concerned	Area of forest land to be diverted for non-forestry purpose
1.	Development of bypass to Paonta Sahib between km 98.300 to km 104.000 of NH-72 in the State of Himachal Pradesh	Divisional Forest Officer Paonta Sahib	Diversion of forest land in Mauza Bhuppur-II, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour Total land 1.8916 Hact.

The case was examined by the Committee:-

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १००-वसन्त विहार, देहली-११०००२

Therefore, the meeting ended with a vote of thanks to and from Chair.

Sub Divisional Collector
Paonta Sahib, Dist. Sirmaur
Paonta Sahib

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १०-ए-वस्तु विहार, देहली

आज दिनांक 27-07-2022 को उप महालायकार (नं०) पोषा खासि के कार्यालय में उप-महानगर स्तरीय वन अधिकार स्तरीय की बैठक उप-महालायकार (नं०) की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव एवं तहसीलदार पोषा खासि ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय का बैठक के आयोजन हेतु धन्यवाद दिया। अध्यक्ष महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक की कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश दिए। कार्य के समाप्ति के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72B कोरलेन पोषा खासि बल्लुडन (देहरादून) गैरस करण प्रस्तावित मार्ग प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक	नाम व पद	सं. नं०	हस्ताक्षर
1.	विकास अधिकारी BDC Member	9805230233	(Signature) 27/07/22
2.	जगदीश चौहान B.D.C Member	7015725501	(Signature) 27/7/22
3	सुमन कुमार उपवन शालिक टैन खण्ड अधिकारी पोषा	9816700928	(Signature) D.R 27/7/22
4	शिवप्रकाश सोनरोही तहसीलदार		(Signature)

(Signature)
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 20-वसन्त विहार, देहरादून



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज- I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006
दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU VSNT-VHR/Ballupur-Ponta/Forest/2022/5636

Date: 10.11.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
पांवटा साहिब वन प्रभाग,
पांवटा साहिब, जनपद-सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)।

विषय: उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के कि०मी० 97.000 से कि०मी० 149.000 तक और रा०रा०-72 (पांवटा साहिब बाईपास) के कि०मी० 98.300 से कि०मी० 104.000 तक के चारलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पांवटा साहिब वन प्रभाग, जनपद-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश अधीन 1.8916 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/HP/ROAD/144814/2021)

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक 3702 दिनांक 20.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 3702 दिनांक 20.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिमला द्वारा पत्रांक FC/HPB/06/179/2022 दिनांक 07.03.2023 के माध्यम से संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रदान की गयी स्टेज-। स्वीकृति के बिन्दु सं० 7 के अनुपालन में मिट्टी एवं आर्द्रता प्लान व वृक्षों के मूल्य का आंगणन कुल रू० 33,24,807/- इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था।

इस संबंध में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित आंगणन के क्रम में जी०एस०टी० (धनराशि रू० 2,03,654/-) व मिट्टी एवं आर्द्रता प्लान (धनराशि रू० 19,89,743/-) की धनराशि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को ऑनलाईन के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है। वृक्षों के मूल्य की धनराशि अंकन रू० 11,31,410/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं० 418640 दिनांक 10.11.2023 इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद।

संलग्नक: डिमाण्ड ड्राफ्ट सं० 418640 दिनांक 10.11.2023

भवदीय

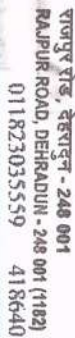
Rahul
10/11/2023

(राहुल मीना)

प्रबन्धक (तक०)

कृते परियोजना निदेशक

प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)



10112023

Valid for three months only from the date of instrument

---DIVISIONAL FOREST OFFICER PAVONTA---

को या उनके आदेश पर Or Order प्राप्त मूल्य के लिए

ELEVEN LAKH THIRTY ONE THOUSAND FOUR HUNDRED TEN ONLY

रुपये Rupees

अदा करें For Value Received

*** 11,31,410.00

Purchaser Name: ★ NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

कुते केनरा बैंक For Canara Bank

कनरा बँक Canara Bank

एक	११	१०	११	१०
१२	१३	१४	१५	१६

DRAWEE BRANCH, D. P. CODE

PA(ONTA SAHIB(4200)
CTDNB

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
AUTHO SIGNATORY

नाम	पदनाम
NAME	DESIGNATION

E. A. S.
S. P. No.

नामिक संख्या	AUTHO SIGNATORY	NAME
57190.66356		

NAME	DESIGNATION
...	...

매일
S.M. NO.

रु एक लाख अरु उक्त अधिक डिमांड ड्राफ्ट क निवेदा प्रमाणित कर्ता सिग्नेचर क हस्ताक्षर चाहिए।
Demand Drafts of ₹ 1 Lakh and above require signature of two authorised signatories.
Please sign above

Please sign above

97 28756 1005150001 95118211 16



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU VSNT-VHR/Ballupur-Ponta/Forest/2022/ 5696

Date: 30.11.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

पांवटा साहिब वन प्रभाग,

पांवटा साहिब, जनपद-सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)।

विषय: उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के कि०मी० 97.000 से कि०मी० 149.000 तक और रा०रा०-72 (पांवटा साहिब बाईपास) के कि०मी० 98.300 से कि०मी० 104.000 तक के चारलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पांवटा साहिब वन प्रभाग, जनपद-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश अधीन 1.8916 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/HP/ROAD/144814/2021)

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक 3702 दिनांक 20.09.2023 एवं 5034 दिनांक 23.11.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 5034 दिनांक 23.11.2023 के क्रम में मिट्टी एवं आर्द्रता प्लान (धनराशि रू० 19,89,743/-) की धनराशि संदर्भ सं० 505358500911 दिनांक 09.11.2023 की प्रति एवं वृक्षों के मूल्य की जी०एस०टी० (धनराशि रू० 2,03,654/-) की चालान रसीद सं० 23110200034452 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक

प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

Note # 42

Transaction has been initiated for Payment/Transfer of Rs 19,89,743/- to Himachal Pradesh CAMPA Fund Account through RTGS vide Canara Bank bulk file reference no. 505358500911 dt 09.11.2023.

Cheque bearing no. 759149 dt 09.11.2023 has been signed for issuance of Demand Draft of Rs 11,31,410/- in favour of "DFO, Paonta".

Transaction of Rs 2,03,654/- pertains to remittance of GST on behalf of DFO, Paonta, which involve the payment to third party and the same is not seems appropriate to be remitted by this Office. Therefore, PIU may be asked for providing the correct mode of payment directly to concerned authority.

09/11/2023 03:41 PM

फारूक अली FAROOK ALI
डीडीओ (एफ एंड ए) इकाई DDO (F & A) UNIT

Note # 43

As above note # 42 (par -3)

DD No.-418640 dt. 10.11.2023 of Canara Bank has been issued of Rs. 11,31,410/- against above Chq. No.-759149/09.11.2023.

Kindly take n.a. as per AUDIT

10/11/2023 02:33 PM

भूपेन्द्र कुमार BHUPENDER KUMAR
प्रमुख (एफ एंड ए) इकाई HEAD (F & A) UNIT

30/11/23
प्रो. निदेशक (निर्माण) / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(महान परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं. 10, बस स्टेशन रोड, देहली

GOODS AND SERVICES TAX PAYMENT RECEIPT							
CPIN: 23110200034452		Deposit Date : 29/11/2023		Deposit Time : 14:04:31		e-Scroll : NA	
Payment Particulars							
CIN: RBIS23110200034452		Name of Bank: RESERVE BANK OF INDIA, PAD			BRN: 20231129140431813913		
Details of Taxpayer							
GSTIN: 02AAAGD1592H1ZU		E-mail Id: gXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXom			Mobile No.: 9XXXXXX5685		
Name: DIVISIONAL FOREST OFFICER PAONTA SAHIB		Address : XXXXXXXXXXX Himachal Pradesh,173025					
Reason For Challan							
Reason: Any other payment							
Details of Deposit (All Amount in Rs.)							
Government t	Major Head	Minor Head					
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
Government t of India	CGST(0005)	-	-	-	-	-	-
	IGST(0008)	203654	-	-	-	-	203654
	CESS(0009)	-	-	-	-	-	-
	Sub-Total	203654	0	0	0	0	203654
Himachal Pradesh	SGST(0006)	-	-	-	-	-	-
Total Amount		203654					
Total Amount (in words)		Rupees Two Lakhs Three Thousand Six hundred Fifty-Four Only					
Mode of Payment: NEFT/RTGS -							
Notes:							
1. Status of the transaction can be tracked under 'Track Payment Status' at GST website							
2. Payment status will be set as 'Paid' for this transaction.							
3. This is a system generated receipt.							


 Project Director
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पोस्टाई-वसुन्त विहार, देहली



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT VHR/Ballupur-Ponta / Forest/2022/5999

Date: 01.02.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पांवटा साहिब वन प्रभाग,
पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)।

विषय: उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के कि०मी० 97.000 से कि०मी० 149.000 तक और रा०रा०-72 (पांवटा साहिब बाईपास) के कि०मी० 98.300 से कि०मी० 104.000 तक के चारलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पांवटा साहिब वन प्रभाग, जनपद-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश अधीन 1.8916 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/HP/ROAD/144814/2021)

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक 3702 दिनांक 20.09.2023 एवं 5034 दिनांक 23.11.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 5034 दिनांक 23.11.2023 के क्रम में मिट्टी एवं आर्द्रता प्लान (धनराशि रू० 19,89,743/-) की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से संदर्भ सं० 3101C8723735 व यूटीआर सं० CNRBR52024013172851966 के द्वारा दिनांक 31.01.2024 को किया जा चुका है, जिसके स्क्रीनशॉट की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Rahul
01/02/2024
(राहुल मीना)

प्रबन्धक (तक०)

कृते परियोजना निदेशक

प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि: एक्विंग टीम लीडर, मै० योंग्मा इन्जी० कं० लि० को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Transaction

Account Summary

Saving & Current Account Details

Account Statement

MISME Digi Portal

Uncleared Funds

Cheque Maintenance

Nomination Maintenance

Subscribe Email/Account Statement

CASA Certificates

CONFIRMATION

Transaction submitted successfully

Reference Number

3101C8723735

Status

Completed

OK

Opening Balance			Rs. 33,41,658.54				
Closing Balance			Rs. 15,92,215.54				
Txn Date	Value Date	Cheque No.	Description	Branch Code	Debit	Credit	Balance
31-01-2024 17:36:43	31 Jan 2024		RTGS D/-CNRBR52024013172851966-UBIN0996335-Himachal Pradesh CAMPA-/NONE//SL/335800P7TS317PBST/B04/	1182	19,89,743.00		13,51,91
31-01-2024 20:43:22	31 Jan 2024		NEFT Cr-RBI0322438095405-	33		2,40,300.00	15,92,215.54



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज- I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU VSNT-VHR/Ballupur-Ponta/Forest/Sirmour/2022/ 6090

Date: 16.02.2024

सेवा में,

नोडल अधिकारी- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफसीए),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हिमाचल प्रदेश वन विभाग,
शिमला- I, हिमाचल प्रदेश।

Sub: Four laning of Paonta Saheb-Ballupur (Dehradun) section of NH-72 (Km. 104.000 to Km.149.000) including Paonta Sahib Bypass (Km.97.000 to Km.104.00) in the state of Himachal Pradesh & Uttarakhand.

— भा०रा०रा०प्रा० द्वारा मिट्टी एवं आर्द्रता प्लान की जमा करायी गयी धनराशि रू० 19,89,743/- का मिलान परिवेश वेबपोर्टल पर नहीं हो पाने के संबंध में।

- संदर्भ:
1. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/HP/ROAD/144814/2021
 2. इस कार्यालय का पत्रांक 5999 दिनांक 01.02.2024
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, पांवटा साहिब वन प्रभाग का पत्रांक 3702 दिनांक 20.03.2023 एवं 5034 दिनांक 23.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, पांवटा साहिब वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक 5034 दिनांक 23.11.2023 के क्रम में मिट्टी एवं आर्द्रता प्लान (धनराशि रू० 19,89,743/-) की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से संदर्भ सं० 3101C8723735 व यूटीआर सं० CNRBR52024013172851966 के द्वारा दिनांक 31.01.2024 को किया जा चुका है।

2. उक्त के संबंध में आपके संज्ञान में लाना है कि भा०रा०रा०प्रा० द्वारा जमा करायी गयी उक्त धनराशि का परिवेश पोर्टल पर मिलान नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप स्टेज- I अनुमति की अनुपालन आख्या पोर्टल द्वारा निरस्त कर दी गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु CAMPA, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अपने स्तर अनुरोध करने का कष्ट करें। 12 कॉलम प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

सधन्यवाद।

भवदीय

(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक
प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पांवटा साहिब वन प्रभाग, सिरमौर - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मै० योंग्मा इन्जी० कं० प्रा० लि०- को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए वांछित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Proforma-12		
1	Name of Regional Office	Shimla
2	State/District/Forest Division to which the proposal relates	Himachal Pradesh, Nahan Sirmour, Paonta Sahib
3	Name of User Agency, nature of proposal	National Highways Authority of India, Dehradun
4	Proposal number	FP/HP/ROAD/144814/2021
5	Extend of forest area involved	1.8916 Ha.
6	whether original, or extension	Original
7	If extension of lease, pl clearly if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-
8	Date of 1st stage clearance	07/03/2023
9	Extend of CAMPA charges, head wise viz	
	(a) Compensatory Afforestation	
	(b) Additional CA	NA
	(c) Penal CA	NA
	(d) Catchment Area Treatment (SMC Work)	Rs. 19,89,743/-
	(e) Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas.	
	(f) Net Present Value	
	(g) Any other charges/Levies (pl specify) GST @18%	
	Total	Rs. 19,89,743/-
10	Details of Bank Drafts (Bank. Draft No. Date & Amount), head-wise against items indicated in paragraph 9 above	Canara Bank dated 31.01.2024
11	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & dated of remittance.	RTGS CNRBR52024013172851966 UTR No. 3101C8723735
12	Bank [Corporation Bank, Lodhi complex/union bank of India. Sunder Nagar] in which deposited, with date of deposition.	Union Bank of India

(Difference amount of CA)

परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 प्लॉट नं. ०५०-वसन्त विहार, देहरादून